



सन्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र)

फरवरी, 2026 की कार्यसूची

(खण्ड-08)

दिनांक- 20 फरवरी, 2026

माँग संख्या - 22

आय-व्ययक शीर्षक - गृह विभाग

128. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "गृह विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 20132,86,69,000/- (बीस हजार एक सौ बत्तीस करोड़ छियामी लाख उनहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 129.-131. श्री मो० कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक - कृषि विभाग

132. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "कृषि विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 3446,45,26,000/- (तीन हजार चार सौ छियालीस करोड़ पैंतालीस लाख छब्बीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 133-137. श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो० कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

138. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2469,35,12,000/- (दो हजार चार सौ उनहत्तर करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 139-140. श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री मो० कमरूल होदा, प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

141. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 371,63,31,000/- (तीन सौ इकहत्तर करोड़ तिरैसठ लाख इकतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

142. श्री आलोक कुमार मेहता, प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-53

आय-व्ययक शीर्षक - युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

143. प्रभारी मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1379,57,70,000/- (एक हजार तीन सौ उनसी करोड़ सतावन लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक - सूचना प्रावैधिकी विभाग

144. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 290,43,53,000/- (दो सौ नब्बे करोड़ तैंतालीस लाख त्तिरेपन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

145. श्री आलोक कुमार मेहता प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।


राज्य सरकार के सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2026- 543 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।


प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अनुपमा प्रसाद)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2026- 543 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।


प्रति:-संयुक्त निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।


(अनुपमा प्रसाद)
निदेशक,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2026- 543 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अनुपमा प्रसाद)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।


19/02/2026